

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, कानपुर नगर एवं ललितपुर।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2016

विषय:- वर्ष 2015-16 में रबी फसलों की अवधि में कम वर्षा होने के कारण जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 453/1-11-2016- 7 (जी)/2015 दिनांक 19.11.2015 द्वारा खरीफ की फसल के समय 60 प्रतिशत से कम वर्षा के आधार पर 49 जनपदों यथा- संतरविदास नगर, सोनभद्र, सुलतानपुर, मीरजापुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चंदौली, इटावा, बस्ती, बागपत, जौनपुर, फैजाबाद, गोण्डा, कन्नौज, बाराबंकी, संतकबीरनगर, झांसी, जालौन, गोरखपुर, हाथरस, एटा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मऊ, उन्नाव, रामपुर, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, लखनऊ, देवरिया, मैनपुरी, महाराजगंज, आगरा, औरैया, पीलीभीत, अमेठी, महोबा, रायबरेली, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, फतेहपुर, अम्बेडकरनगर तथा बलरामपुर में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति के आधार पर कुल 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था।

2- उक्त के पश्चात वर्ष 2015-16 की रबी की फसलों की क्षति के संबंध में जिलाधिकारीगण से तथा भारत सरकार के सूखा मैनुअल-2009 में उल्लिखित चार संकेतको पर कृषि विभाग, रिमोट सेसिंग अप्लीकेशन सेन्टर तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से सूचना प्राप्त की गयी। प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2015-16 की रबी की फसलों की 07 जनपदों-चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, कानपुरनगर में 33 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति हुई है। उक्त के अतिरिक्त जनपद ललितपुर में बुआई में कमी 37.4 प्रतिशत हुई है तथा रिमोट सेसिंग द्वारा भी ललितपुर को सूखे की ही स्थिति में दर्शाया गया है। ललितपुर की भौगोलिक स्थिति भी विषम है। अतः शासनादेश संख्या 453/1-11-2016- 7 (जी)/2015 दिनांक 19.11.2015 के क्रम में जनपद ललितपुर को सम्मिलित करते हुये कुल 08 जनपदों-चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, कानपुरनगर तथा ललितपुर को वर्ष 2015-16 की रबी फसलों के लिए सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है।

3— उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सूखे की स्थिति गम्भीर होने की दशा में जिलाधिकारी जहाँ आवश्यक एवं अपरिहार्य समझते हैं, शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत हेतु निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे:—

- (1) राहत कैम्प का संचालन किया जाएगा जिसमें वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
- (2) पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पशु राहत कैम्प संचालित किये जायेंगे, जिसमें चारा की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी।

4— उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नांकित राहत सहायता प्रदान की जायेगी:—

- (1) आपात स्थिति में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाय।
- (2) अवर्षण के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों की 33 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त फसल हेतु भारत सरकार के मानक अनुसार कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जाय।
- (3) सूखे की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखते हुये इससे निपटने के लिये बनाई गई कार्ययोजना को तत्काल कार्यान्वित कराया जाए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण भुखमरी का शिकार न हो।

5— सूखे की स्थिति से निपटने के लिये की जाने वाली प्रमुख कार्यवाही:—

- (1) स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन जनपदों में रैपिड रेस्पान्स टीम का गठन किया जाए जिसके माध्यम से पेयजल शुद्धता हेतु क्लोरीन टैबलेट का वितरण एवं पेयजल स्रोतों का विसंक्रमण सतत रूप से किया जाएगा एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- (2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
- (3) पेयजल की आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प की स्थापना तथा रिबोर की श्रेणी में आने वाले हैण्डपम्पों को तत्काल रिबोर कराया जाए।
- (4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु सामान्य मरम्मत से सम्बन्धित हैण्डपम्प को तत्काल समय से ठीक करा लिया जाएगा।
- (5) लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप एवं गहरे नलकूप को स्थापित/लगाने के लक्ष्यों के पूर्ति की कार्यवाही समय से पूर्ण की

जाए ताकि कृषकों को इससे तत्काल सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

- (6) कृषि विभाग के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों को बोवाई हेतु वैकल्पिक बीज की व्यवस्था हेतु नियमानुसार मिनी किट वितरित किया जाए।
- (7) राजकीय नलकूप में सामान्य खराबी को शीघ्रातिशीघ्र ठीक कराकर सिंचाई व्यवस्था सामान्य बनायी रखी जाए। इन राजकीय नलकूप से सम्बन्धित यदि कोई ट्रान्सफार्मर खराब होता है, तो इसे विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित अवधि/दिवस के अन्दर बदल दिया जाए। इस हेतु सभी विद्युत भंडार केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था की जाए।
- (8) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को खाद्यान उपलब्ध कराया जाए।

6- आपसे अनुरोध है कि कृपया सूखा से निपटने के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, ग्राम्य विकास, नगर विकास, सिंचाई, राजस्व, पंचयतीराज, लघु सिंचाई, कृषि, खाद्य एवं रसद एवं जल निगम आदि विभागों से समन्वय करते हुये सूखाग्रस्त जनपदों में सूखा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने हेतु हर सम्भव राहत कार्य किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव

संख्या 196(1) एवं तददिनॉक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
4. केन्द्रीय सूखा राहत आयुक्त एवं अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्।
7. सम्बन्धित मण्डलायुक्त उ0प्र0।
8. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।